

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक / 2 / अवि. / सेल - 5 / 2018 / 788 - ०
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला - बड़वानी,
मध्यप्रदेश।

विषय :— अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण — श्री यासीन खान पुत्र स्व० श्री मुर्तुजा खान, संगणक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाली, जिला बड़वानी, म.प्र।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक / स्थापना / 2018 / 2766 दिनांक 09.04.2018.

—०—

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री यासीन खान पुत्र स्व० श्री मुर्तुजा खान, संगणक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाली, जिला बड़वानी, म.प्र. का अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण जिले में सामान्य वर्ग में चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय में प्राप्त हुआ है, जो मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।

आवेदक श्री यासीन खान की ड्रेसर के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु सहमति, आपकी अनुशंसा सहित प्राप्त हुई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / सी / 3-4 / 1 / 3 / 06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी / 3-12 / 2013 / 1 / 3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, “यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।”

अतः श्री यासीन खान को ड्रेसर ग्रेड-2 का निर्धारित तीन माह का प्रशिक्षण जिला चिकित्सालय बड़वानी में दिये जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जा कर संचालनालय को ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) द्वारा अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। आवेदक द्वारा तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर नियमानुसार ड्रेसर ग्रेड-2 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावे। उल्लेखित प्रकरण के अतिरिक्त किसी भी प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को ड्रेसर का प्रशिक्षण संचालनालय की अनुमति के बगैर नहीं दिया जावे।

“आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित”

संलग्न :— मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 27 तक

१८
(विवेक श्रीत्रिय)

अपर संचालक प्रशासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक / 08/2018

पृ. क्रमांक / 2 / अवि. / सेल - 5 / 2018 /
प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. कलेक्टर जिला बड़वानी मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्डौर, संभाग इन्डौर, मध्यप्रदेश।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बड़वानी, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री यासीन खान को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु ड्रेसर का तीन माह का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाण-पत्र जारी किया जावे। उल्लेखित प्रकरण के अतिरिक्त किसी भी प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को ड्रेसर का प्रशिक्षण संचालनालय की अनुमति के बगैर नहीं दिया जावे।
4. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
5. श्री यासीन खान पुत्र स्व० मुर्तुजा खान, निवासी— चांदशाह मोहल्ला, बड़वानी, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र.

क्रमांक / 2 / अवि. / सेल - 5 / 2018 / ८८० - ०
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०३ / ०४ / 2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला इन्दौर,
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण – श्री रविन्द्र बसोड़ पिता स्व० श्री बदिया बसोड़, स्वीपर, जिला
मलेरिया कार्यालय, जिला झाबुआ, म.प्र।

संदर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झाबुआ का पत्र क्रमांक 1245 दिनांक 07.05.2018.

-0-

विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री रविन्द्र बसोड़ पिता स्व० श्री बदिया
बसोड़, स्वीपर, जिला मलेरिया कार्यालय, जिला झाबुआ, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण झाबुआ जिले
में अनुसूचित जाति वर्ग में चर्तुथ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्राप्त हुआ है, जो
मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।

म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी / ३-१२ / २०१३ / १ / ३ दिनांक 29.09.
2014 के पालन में संचालनालय स्तर पर प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर आवेदक श्री रविन्द्र बसोड़
को धारित योग्यतानुसार चर्तुथ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु योग्य पाया गया है।

अतः श्री रविन्द्र बसोड़ को आपके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग में चर्तुथ श्रेणी (भृत्य) के रिक्त
पद पर नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही 03 दिवस में की जा कर संचालनालय
को ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) द्वारा अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 25 तक

२१४१/४

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक प्रशासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / 2 / अवि. / सेल - 5 / 2018 /

भोपाल, दिनांक / ०४ / 2018

प्रतिलिपि :- (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू)

1. कलेक्टर जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ इन्दौर, संभाग इन्दौर म.प्र।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ, म.प्र।
4. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
5. श्री रविन्द्र बसोड़ पिता स्व० श्री बदिया बसोड़, निवासी – अयोध्या बस्ती, झाबुआ, म.प्र।

संयुक्त संचालक (अविज्ञाप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र.

क्रमांक / 2 / अवि. / सेल - 5 / 2018 / ७६८ -०
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०३/०४/२०१८

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला इन्दौर,
मध्यप्रदेश।

विषय :— अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण — श्रीमती अनिता बाई पत्नि स्व० श्री प्रदीप साहू, वार्ड बॉय,
सिविल अस्पताल सेंधवा, जिला बड़वानी, म.प्र.।

संदर्भ :— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी का पत्र क्रमांक 539 दिनांक 18.01.2018.

—०—

विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्रीमती अनिता बाई पत्नि स्व० श्री प्रदीप साहू, वार्ड बॉय, सिविल अस्पताल सेंधवा, जिला बड़वानी, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण बड़वानी जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग में चर्तुथ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्राप्त हुआ है, जो मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी / ३-१२/२०१३/१/३ दिनांक 29.09.2014 के पालन में संचालनालय स्तर पर प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर आवेदिका श्रीमती अनिता बाई को धारित योग्यतानुसार चर्तुथ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु योग्य पाया गया है।

अतः श्रीमती अनिता बाई को आपके अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग में चर्तुथ श्रेणी (वार्ड आया) के रिक्त पद पर नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही ०३ दिवस में की जा कर संचालनालय को ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) द्वारा अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित /

संलग्न :— मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 26 तक

२१४॥४
(विवेक श्रावित्री)

अपर संचालक प्रशासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / 2 / अवि. / सेल - 5 / 2018 /

भोपाल, दिनांक / ०४ / २०१८

प्रतिलिपि :— (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु)

1. कलेक्टर जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं इन्दौर, संभाग इन्दौर म.प्र।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी, म.प्र।
4. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
5. श्रीमती अनिता बाई पत्नि स्व० श्री प्रदीप साहू, निवासी— ग्राम बरुफाटक, तहसील राजपुर,
जिला बड़वानी, म.प्र।

संयुक्त संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक / २ / अवि. / सेल - ५ / २०१८ / ७५६-०

भोपाल, दिनांक ०३ / ०४ / २०१८

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला – खण्डवा,
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण— श्री अश्विनी त्रिवेदी पुत्र स्व० श्रीमती यशोदा त्रिवेदी, आया, जिला चिकित्सालय रतलाम, म.प्र।

संदर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रतलाम का पत्र क्रमांक 3339 दिनांक 19.12.2016.

—००—

विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्रीमती यशोदा त्रिवेदी, आया, जिला चिकित्सालय रतलाम, म.प्र. की मृत्यु दिनांक 16.02.2012, को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री अश्विनी त्रिवेदी का अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण जिले में सामान्य वर्ग में सहायक ग्रेड-३ का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय में प्राप्त हुआ है, जो मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।

श्री अश्विनी त्रिवेदी के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त आवेदक को नियमानुसार तृतीय श्रेणी पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होकर सहायक ग्रेड-३ के पद हेतु योग्य पाया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार आपके अधीन सामान्य वर्ग में सहायक ग्रेड-३ का पद रिक्त है।

अतः म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी / ३-१२ / २०१३ / १ / ३ दिनांक 29.09.2014 के तहत आवेदक के आवश्यक दस्तावेजों का अवलोकन/पूर्ति कर सहायक ग्रेड-३ के पद पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही ०३ दिवस में करना सुनिश्चित करें तथा ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर अवगत करावें।

“स्वास्थ्य अनुकूल द्वारा अनुमोदित”

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. १ से ३९ तक

D.

२/४/१८

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / २ / अवि. / सेल - ५ / २०१८ /

भोपाल, दिनांक / ०४ / २०१८

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू –

1. कलेक्टर, जिला रतलाम मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर, संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रतलाम, म.प्र।
4. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
5. श्री अश्विनी त्रिवेदी पुत्र स्व० श्रीमती यशोदा त्रिवेदी, निवासी- ७६, पी.एन.टी. कॉलोनी, रतलाम, म.प्र।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र.

क्रमांक / २ / अवि. / सेल - ५ / २०१८ / ४५२-०

भोपाल, दिनांक ०३ / ०४ / २०१८

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
इन्दौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण— श्री विकास सिंह पुत्र स्व. श्री गोपाल सिंह, चौकीदार, शासकीय औषधि भण्डार, एम.टी.एच., इन्दौर, जिला इन्दौर, म.प्र।

संदर्भ :- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर का पत्र क्रमांक ३९०४, दिनांक ०९.०५.२०१८।

—००—

क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री विकास सिंह पुत्र स्व. श्री गोपाल सिंह, चौकीदार, शासकीय औषधि भण्डार, एम.टी.एच., इन्दौर, जिला इन्दौर, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण सहायक ग्रेड-३ के पद पर नियुक्ति हेतु संचालनालय को प्रेषित किया गया है, जो मूलतः संलग्न है।

श्री विकास सिंह के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आवेदक संगणक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलीराजपुर के अधीन संगणक का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री विकास सिंह पुत्र स्व. श्री गोपाल सिंह को म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी / ३-१२ / २०१३ / १ / ३ दिनांक २९.०९.२०१४ के तहत संगणक के पद पर नियमानुसार ०३ दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की जाकर आपके अधीनस्थ अलीराजपुर जिले में पदस्थ करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से संचालनालय को ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर सूचित करें।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. १ से २३ तक


भृष्णु (४)
(विवेक श्रीत्रिविक्रम)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / २ / अवि. / सेल - ५ / २०१८ /

भोपाल, दिनांक / ०४ / २०१८

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

१. कलेक्टर, जिला इन्दौर म.प्र।
२. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर / अलीराजपुर, म.प्र।
३. प्रभारी एम.आई.एस (एम.आई.एस) स्थानीय कार्यालय।
४. श्री विकास सिंह पुत्र स्व. श्री गोपाल सिंह, निवासी— ४४ / १, संजय गांधी नगर, कासलीवाल का गोदाम, इन्दौर म.प्र।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र.

क्रमांक / २ / अवि. / सेल - ५ / २०१८ / ७५० -०

भोपाल, दिनांक ०३ / ०४ / २०१८

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
इन्दौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण— श्रीमती शीतल त्रिवेदी पत्नि स्व. श्री अजय त्रिवेदी, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊन, जिला खरगौन, म.प्र।

संदर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगौन का पत्र क्रमांक 1862, दिनांक 20.02.2018.

—००—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगौन के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्रीमती शीतल त्रिवेदी पत्नि स्व. श्री अजय त्रिवेदी, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊन, जिला खरगौन, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण सहायक ग्रेड-३ के पद पर नियुक्ति हेतु संचालनालय को प्रेषित किया गया है, जो मूलतः संलग्न है।

श्रीमती शीतल त्रिवेदी के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आवेदिका संगणक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी के अधीन संगणक का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती शीतल त्रिवेदी पत्नि स्व. श्री अजय त्रिवेदी को म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी / ३-१२ / २०१३ / १ / ३ दिनांक 29.09.2014 के तहत संगणक के पद पर नियमानुसार ०३ दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की जाकर आपके अधीनरथ बड़वानी जिले में पदस्थ करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से संचालनालय को ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर सूचित करें।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. १ से ३३ तक

८४

५४।।९

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / २ / अवि. / सेल - ५ / २०१८ /

भोपाल, दिनांक / ०४ / २०१८

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

१. कलेक्टर, जिला खरगौन म.प्र।
२. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खरगौन / बड़वानी म.प्र।
३. प्रभारी एम.आई.एस (एम.आई.एस) स्थानीय कार्यालय।
४. श्रीमती शीतल त्रिवेदी पत्नि स्व. श्री अजय त्रिवेदी, निवासी— १०८, गंगानगर, खरगौन, जिला खरगौन, म.प्र।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र.

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/ ७४८-०

भोपाल, दिनांक ०३/०४/2018

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
इन्दौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश ।

विषय :— अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण— श्री अभिषेक वर्मा पुत्र स्व. श्री मोहनलाल वर्मा, वाहन चालक, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला खण्डवा, म.प्र. ।

संदर्भ :— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खण्डवा का पृ.क्रमांक 11025-26 दिनांक 28.10.2014 एवं पत्र क्रमांक 2576, दिनांक 24.03.2018.

—००—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खण्डवा के सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से श्री अभिषेक वर्मा पुत्र स्व. श्री मोहनलाल वर्मा, वाहन चालक, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला खण्डवा, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण सहायक ग्रेड-३ के पद पर नियुक्ति हेतु संचालनालय को प्रेषित किया गया है, जो मूलतः संलग्न है। श्री अभिषेक वर्मा को संचालनालय के पत्र क्रमांक 219-आई. दिनांक 26.02.2018 द्वारा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर प्रशिक्षण/नियुक्ति हेतु निर्देश जारी किये गये थे। आवेदक द्वारा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर प्रशिक्षण/नियुक्ति हेतु असहमति व्यक्त करते हुए योग्यता अनुसार संगणक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु आग्रह किया गया है।

श्री अभिषेक वर्मा के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आवेदक संगणक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डवा के अधीन संगणक का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री अभिषेक वर्मा पुत्र स्व. श्री मोहनलाल वर्मा को म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/३-१२/२०१३/१/३ दिनांक 29.09.2014 के तहत संगणक के पद पर नियमानुसार ०३ दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की जाकर आपके अधीनस्थ खण्डवा जिले में पदस्थ करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से संचालनालय को ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर सूचित करें।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न :— मूल सह पत्र पृ.क्र. १ से ३६ तक

१४।१४

१४।१४

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/

भोपाल, दिनांक /०४/२०१८

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. कलेक्टर, जिला खण्डवा म.प्र.।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खण्डवा, म.प्र.।
3. प्रभारी एम.आई.एस (एम.आई.एस) स्थानीय कार्यालय।
4. श्री अभिषेक वर्मा पुत्र स्व. श्री मोहनलाल वर्मा, निवासी— एल.आई.सी. ऑफिस, सिविल लाईन, जिला खण्डवा, म.प्र.।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अविरो/सेल-5/2018/18।- I
प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला खरगोन
मध्यप्रदेश।

विषय :— अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण — श्री विष्णु रहीम, पुत्र स्व. श्री किशोर रहीम, स्वीपर, जिला चिकित्सालय बड़वानी ।

सन्दर्भ :— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी का पत्र क्रमांक 16461 दि. 28.11.2017।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री विष्णु रहीम, पुत्र स्व. श्री किशोर रहीम, स्वीपर, जिला चिकित्सालय बड़वानी का अनुकंपा नियुक्ति आवेदन चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु की गई कार्डिनिंग में आवेदक श्री विष्णु रहीम, पुत्र स्व. श्री किशोर रहीम, द्वारा वार्डवाय के पद हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण में श्री श्री विष्णु रहीम, पुत्र स्व. श्री किशोर रहीम, द्वारा घारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे वार्डवाय की अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन वार्डवाय का अनुसूचित जाति वर्ग का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री विष्णु रहीम, पुत्र स्व. श्री किशोर रहीम, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3 /06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 एवं परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 07 दिवस में अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न — उपरोक्तानुसार

पृष्ठ क्रमांक/अवि./सेल-5/2018/18 2-I

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला खरगोन/बड़वानी मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाय इन्डौर म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी म.प्र.।
4. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. श्री विष्णु रहीम, पुत्र स्व. श्री किशोर रहीम, पता— टी.बी. वार्ड परिसर जिला चिकित्सालय बड़वानी।

भोपाल दिनांक 26/02 / 2018

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश**

क्रमांक/२/अवि०/सेल-५/२०१८/२३५- ई
प्रति,

भोपाल, दिनांक २६/ ०२/ २०१८

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला धार
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण – श्री राजदीप जोशी, पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र जोशी, वार्डवाय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर जिला बड़वानी।

सन्दर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी का पत्र क्रमांक १६५८७ दि. २०.११.२०१७।

—०००—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री राजदीप जोशी, पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र जोशी, वार्डवाय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर जिला बड़वानी का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदिका श्री राजदीप जोशी, पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र जोशी, द्वारा वार्डवाय के पद हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण मेंश्री राजदीप जोशी, पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र जोशी,, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे वार्डवाय की अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन वार्डवाय का सामान्य वर्ग का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री राजदीप जोशी, पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र जोशी, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/३-४/१/३ /०६ भोपाल, दिनांक १८ अगस्त २००८ एवं परिपत्र क. सी/३-१२/२०१३/१/३ दिनांक २९.०९.२०१४ के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर ०३ दिवस में अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न – उपरोक्तानुसार ()

(विवेक श्रीत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/अवि./सेल-५/२०१८/२३६- ई

भोपाल दिनांक २६/०२/ २०१८

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- १. कलेक्टर जिला धार/बड़वानी मध्यप्रदेश।
- २. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाय इन्दौर म.प्र.।
- ३. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी
- ४. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
- ५. श्री राजदीप जोशी, पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र जोशी, पता- गुजरी चौक, भवानी मंदिर के पास राजपुर जिला बड़वानी।

(विवेक श्रीत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश**

क्रमांक / २ / अविरो / सेल-५ / २०१८ / २३३ - I
प्रति,

भोपाल, दिनांक २६/ ०२/ २०१८

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला खण्डवा
मध्यप्रदेश।

विषय :— अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण — श्री मोहन गोस्वामी, पुत्र स्व. श्री किशोर गोस्वामी, वार्डवाय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पानसेमल जिला बड़वानी।

सन्दर्भ :— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी का पत्र क्रमांक १६४६१ दि. २८.११.२०१७।

—०००—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री मोहन गोस्वामी, पुत्र स्व. श्री किशोर गोस्वामी, वार्डवाय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पानसेमल जिला बड़वानी का अनुकंपा नियुक्ति आवेदन चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री मोहन गोस्वामी, पुत्र स्व. श्री किशोर गोस्वामी, द्वारा वार्डवाय के पद हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण में श्री मोहन गोस्वामी, पुत्र स्व. श्री किशोर गोस्वामी, द्वारा धारित शैक्षणिक अहता अनुसार वे वार्डवाय की अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन वार्डवाय का अनुसूचित जाति वर्ग का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री मोहन गोस्वामी, पुत्र स्व. श्री किशोर गोस्वामी, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / सी / ३-४ / १ / ३ / ०६ भोपाल, दिनांक १८ अगस्त २००८ एवं परिपत्र क्र. सी / ३-१२ / २०१३ / १ / ३ दिनांक २९.०९.२०१४ के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर ०३ दिवस में अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न — उपरोक्तानुसार ()

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक २६/ ०२ / २०१८

पृ. क्रमांक / अविरो / सेल-५ / २०१८ / २३५ - I

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. कलेक्टर जिला खण्डवा/बड़वानी मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाय इन्दौर भ.प्र।।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी
4. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. श्री मोहन गोस्वामी, पुत्र स्व. श्री किशोर गोस्वामी,, पता— वार्ड क्रमांक १५ बड़पुरा मोहल्ला पानसेमल जिला बड़वानी।

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश**

कमांक / २ / अविरो / सेल - ५ / २०१८ / २३१ - I
प्रति,

भोपाल, दिनांक २६ / ०२ / २०१८

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला इन्डौर
मध्यप्रदेश।

विषय :— अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण — श्री जयन्तीलाल बसोड, पुत्र स्व. श्री शान्तीलाल बसोड, भृत्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामा जिला झाबुआ।

सन्दर्भ :— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ का पत्र कमांक १६९१ दि. १४.०८.२०१७।

—०००—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री जयन्तीलाल बसोड, पुत्र स्व. श्री शान्तीलाल बसोड, भृत्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामा जिला झाबुआ का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु की गई कार्डसिलिंग में श्री जयन्तीलाल बसोड, पुत्र स्व. श्री शान्तीलाल बसोड, द्वारा भृत्य के पद हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण में श्री जयन्तीलाल बसोड, पुत्र स्व. श्री शान्तीलाल बसोड, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे भृत्य की अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन भृत्य का अनुसूचित जाति वर्ग का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री जयन्तीलाल बसोड, पुत्र स्व. श्री शान्तीलाल बसोड, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक / सी / ३-४ / १ / ३ / ०६ भोपाल, दिनांक १८ अगस्त २००८ एवं परिपत्र क. सी / ३-१२ / २०१३ / १ / ३ दिनांक २९.०९.२०१४ के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर रहे हैं। आपको इसी विवरण की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न — उपरोक्तानुसार ()

(विवेक श्रेत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

पृ. कमांक / अविरो / सेल - ५ / २०१८ / २३२ - I

भोपाल दिनांक २६ / ०२ / २०१८

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

१. कलेक्टर जिला इन्डौर / झाबुआ मध्यप्रदेश।
२. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाय इन्डौर म.प्र.।
३. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ।
४. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
५. श्री जयन्तीलाल बसोड, पुत्र स्व. श्री शान्तीलाल बसोड, पता— म.नं. ५, कालीदास मार्ग जिला झाबुआ।

(ग्र.)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये

सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र.

कमांक/2/अवि०/सेल-५/2018/२२१ - प्र
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/ 02/ 2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-धार, मध्यप्रदेश।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री विश्वास वर्मा भाई स्व.श्री रवि वर्मा, ड्रेसर सामु.स्वा.केन्द्र बाग के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क. /स्थापना ./2016/813, दिनांक 16/05/2016।

— ००० —

सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री विश्वास वर्मा भाई स्व.श्री रवि वर्मा, ड्रेसर सामु.स्वा.केन्द्र बाग का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण जिले में सहायक ग्रेड-३ का पद रिक्त नहीं होने से अन्य जिले में नियुक्ति हेतु संचालनालय में प्राप्त हुआ था जो मूलतः संलग्न है।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में प्रकरण के परीक्षण उपरांत आवेदक को श्री विश्वास वर्मा को ड्रेसर ग्रेड-२ के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाया गया। ड्रेसर के पद पर आवेदक द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3 /06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के कंडिका 5.1 एवं 12.1 के तहत, यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें नियुक्ति दी जावेगी।

अतः श्री विश्वास वर्मा भाई स्व.श्री रवि वर्मा को ड्रेसर ग्रेड-२ का निर्धारित 03 माह का प्रशिक्षण जिला चिकित्सालय धार में दिये जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जाकर संचालनालय को डाक एवं ई-मेल (**nongazatted.mp@mp.gov.in**) द्वारा समय सीमा में अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। आवेदक द्वारा 03 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर नियमानुसार ड्रेसर ग्रेड-२ के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावे। उल्लेखित प्रकरण के अतिरिक्त किसी भी प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को ड्रेसर का प्रशिक्षण संचालनालय की अनुमति के बाहर नहीं दिया जावे।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

निरंतर.....2/

मांक / २ / अविरो / सेल - ५ / २०१८ / २३० - I

भोपाल, दिनांक २६ / ०२ / २०१८

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं इन्डौर म.प्र।
2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, धार की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री विश्वास वर्मा को अनुकम्भा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु ड्रेसर का तीन माह का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र जारी किया जावे । उल्लेखित प्रकरण के अतिरिक्त किसी भी प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को ड्रेसर का प्रशिक्षण संचालनालय की अनुमति के बगैर नहीं दिया जावे ।
3. श्री विश्वास वर्मा स्व. भाई श्री रवि वर्मा पता—लक्ष्मी कॉलोनी पुलिस थाने के सामने कुक्षी जिला धार म.प्र।
4. प्रभारी एम.आई.एस (एम.आई.एस) स्थानीय कार्यालय ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र.

क्रमांक / २ / अविदि / सेल - ५ / २०१८ / २२७ - ए
प्रति,

भोपाल, दिनांक २६ / ०२ / २०१८

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-इन्दौर, मध्यप्रदेश।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री अमन कुशवाह पिता स्व. श्री भगवानसिंह कुशवाह ड्रेसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एम.ओ.जी लाईन जिला इन्दौर।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क. / स्थापना . / २०१५ / २६२६९, दिनांक ०४.०९.२०१७ |
—००—

सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री अमन कुशवाह पिता स्व. श्री भगवानसिंह कुशवाह ड्रेसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एम.ओ.जी.लाईन जिला इन्दौर का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण जिले में सहायक ग्रेड-३ का पद रिक्त नहीं होने से अन्य जिले में नियुक्ति हेतु संचालनालय में प्राप्त हुआ था जो मूलतः संलग्न है।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में प्रकरण के परीक्षण उपरांत आवेदक को श्री अमन कुशवाह को ड्रेसर ग्रेड-२ के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाया गया। ड्रेसर के पद पर आवेदक द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / सी / ३-४ / १ / ३ / ०६ भोपाल, दिनांक १८ अगस्त २००८ की कंडिका ५.३ एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी / ३-१२ / २०१३ / १ / ३ दिनांक २९.०९.२०१४ के कंडिका ५.१ एवं १२.१ के तहत, यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें नियुक्ति दी जावेगी।

अतः श्री अमन कुशवाह पिता स्व. श्री भगवानसिंह कुशवाह, को ड्रेसर ग्रेड-२ का निर्धारित ०३ माह का प्रशिक्षण जिला चिकित्सालय इन्दौर में दिये जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही ०७ दिवस में की जाकर संचालनालय को डाक एवं ई-मेल (**nongazatted.mp@mp.gov.in**) द्वारा समय सीमा में अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। आवेदक द्वारा ०३ माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर नियमानुसार ड्रेसर ग्रेड-२ के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावे। उल्लेखित प्रकरण के अतिरिक्त किसी भी प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को ड्रेसर का प्रशिक्षण संचालनालय की अनुमति के बगैर नहीं दिया जावे।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Dr.

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश


निरंतर..... २ /

क्रमांक / 2 / अविरो / सेल - 5 / 2018 / 228 - I

भोपाल, दिनांक 26 / 02 / 2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ इन्दौर म.प्र।
2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, इन्दौर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री अमन कुशवाह को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु ड्रेसर का तीन माह का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र जारी किया जावे । उल्लेखित प्रकरण के अतिरिक्त किसी भी प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को ड्रेसर का प्रशिक्षण संचालनालय की अनुमति के बगैर नहीं दिया जावे ।
3. श्री अमन कुशवाह पिता स्व. श्री भगवानसिंह कुशवाह, पता- 14/14 नन्दा नगर, इन्दौर।
4. प्रभारी एम.आई.एस (एम.आई.एस) स्थानीय कार्यालय ।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/२/अवि०/सेल-५/२०१८/२२५- ई

भोपाल, दिनांक २६/ ०२/ २०१८

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला बड़वानी

मध्यप्रदेश।

विषय :— अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण — श्री अभिषेक मोदी, पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र मोदी, वाहन चालक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटी जिला बड़वानी।

सन्दर्भ :— आपका पत्र क्रमांक ६०७० दिनांक ०३.०५.२०१७।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री अभिषेक मोदी, पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र मोदी, वाहन चालक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटी जिला बड़वानी का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-३ का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री अभिषेक मोदी द्वारा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /सी/३-४/१/३ /०६ भोपाल, दिनांक १८ अगस्त २००८ की कंडिका ५.३ एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/३-१२/२०१३/१/३ दिनांक २९.०९.२०१४ की कंडिका ५.१ एवं १२.१ में प्रावधान है कि, यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जावेगी।

अतः श्री अभिषेक मोदी, पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र मोदी, को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुधेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही ०३ दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न — उपरोक्तानुसार ()

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/अवि./सेल-५/२०१८/२२६- ई

भोपाल दिनांक २६/०२/ २०१८

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. कलेक्टर जिला बड़वानी मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाय इन्दौर/सागर म.प्र।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर।
4. प्राचार्य बहुधेशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म.प्र।
5. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. श्री अभिषेक मोदी, पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र मोदी, ८७ एकता नगर अंजड़ नाका बड़वानी, जिला बड़वानी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश**

क्रमांक / २ / अविरो / सेल - ५ / २०१८ / २२३ - I
प्रति,

भोपाल, दिनांक २६ / ०२ / २०१८

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला धार
मध्यप्रदेश।

विषय :— अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण — श्री चन्दन राणे, पुत्र स्व. श्री शंकरलाल राणे, नॉन मेडिकल असिस्टेंट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निसरपुर जिला धार।

सन्दर्भ :— आपका पत्र क्रमांक 1245 दिनांक 30.08.2017।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री चन्दन राणे, पुत्र स्व. श्री शंकरलाल राणे, नॉन मेडिकल असिस्टेंट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निसरपुर जिला धार का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-३ का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री चन्दन राणे, पुत्र स्व. श्री शंकरलाल राणे, द्वारा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / सी / ३-४ / १ / ३ / ०६ भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. सी / ३-१२ / २०१३ / १ / ३ दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जावेगी।

अतः श्री चन्दन राणे, पुत्र स्व. श्री शंकरलाल राणे, को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुध्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही ०३ दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न — उपरोक्तानुसार ()

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये

मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक २६ / ०२ / २०१८

पृ. क्रमांक / अविरो / सेल - ५ / २०१८ / २२४ - I
प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. कलेक्टर जिला धार मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाय इन्डौर/सागर म.प्र।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर।
4. प्राचार्य बहुध्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म.प्र।
5. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. श्री चन्दन राणे, पुत्र स्व. श्री शंकरलाल राणे, वेदान्त विहार कॉलोनी मण्डलेश्वर रोड, कसरावत जिला खरगौन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये

मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / २ / अविरो / सेल - ५ / २०१८ / २२१ - I

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला खरगोन
मध्यप्रदेश।

विषय :— अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण — श्री मयंक कुशवाह, पुत्र स्व. श्री सुखदेव कुशवाह, सुपरवाईजर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मूलठान जिला खरगोन।

सन्दर्भ :— आपका पत्र क्रमांक 11214 दिनांक 02.11.2017।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री मयंक कुशवाह, पुत्र स्व. श्री सुखदेव कुशवाह, सुपरवाईजर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मूलठान जिला खरगोन का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-३ का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री मयंक कुशवाह, पुत्र स्व. श्री सुखदेव कुशवाह, द्वारा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / सी / ३-४ / १ / ३ / ०६ भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका ५.३ एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी / ३-१२ / २०१३ / १ / ३ दिनांक 29.09.2014 की कंडिका ५.१ एवं १२.१ में प्रावधान है कि, यदि किसी पद के लिये अनुमति/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जावेगी।

अतः श्री मयंक कुशवाह, पुत्र स्व. श्री सुखदेव कुशवाह, को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुधेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही ०३ दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न — उपरोक्तानुसार ()

(विवेक श्रेत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / अविरो / सेल - ५ / २०१८ / २२२ - I

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाय इन्डौर / सागर म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर।
4. प्राचार्य बहुधेशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म.प्र।
5. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. श्री मयंक कुशवाह, पुत्र स्व. श्री सुखदेव कुशवाह, पता— हा.मु. दादावाडी कॉलोनी, मेला ग्राउण्ड के सामने, इन्डौर रोड कसरावद जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(अपर संचालक (प्रशासन))
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश**

क्रमांक / 2 / अविरो / सेल - 5 / 2018 / २१९ - I
प्रति,

भोपाल, दिनांक २६ / ०२ / 2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला खण्डवा
मध्यप्रदेश।

विषय :— अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण — श्री अभिषेक वर्मा, पुत्र स्व. श्री मोहनलाल वर्मा, वाहन चालक जिला चिकित्सालय खण्डवा।

सन्दर्भ :— आपका पत्र क्रमांक 11024 दिनांक 28.10.2014।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री अभिषेक वर्मा, पुत्र स्व. श्री मोहनलाल वर्मा, वाहन चालक जिला चिकित्सालय खण्डवा का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन संचालनालय को प्रेषित किया गया है।

अनुकंपा नियुक्ति हेतु श्री अभिषेक वर्मा, पुत्र स्व. श्री मोहनलाल वर्मा, द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03. 08.2017 में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / सी / ३-४ / १ / ३ / ०६ भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी / ३-१२ / २०१३ / १ / ३ दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जावेगी।

अतः श्री अभिषेक वर्मा, पुत्र स्व. श्री मोहनलाल वर्मा, को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही ०३ दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न — उपरोक्तानुसार ()

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक २६ / ०२ / 2018

पृ. क्रमांक / अविरो / सेल - 5 / 2018 / २२० - I
प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. कलेक्टर जिला खण्डवा मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाय इन्दौर / सागर म.प्र।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर।
4. प्राचार्य बहुदेशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म.प्र।
5. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. श्री अभिषेक वर्मा, पुत्र स्व. श्री मोहनलाल वर्मा, पता— एल.आई.सी. ऑफिस के पीछे, सिविल लाईंस जिला खण्डवा।

(D)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश